लेखा·योग

144. एनपीओ कराधान - प्रस्तावित कर संहिता

फरवरी 09- मार्च 09, जनवरी 2010 में जारी

इस अंक में

क्या आप वाकई एनपीओ हैं? • खरचें या कर दें! पृष्ठ 1

भाई-भतीजा वाद पृष्ठ 2 दाताओं को सुविधा • दूसरी औपचारिकताए पृष्ठ 3

मुख्य बदलावों का चार्ट पृष्ठ 4

सरकार ने अगस्त 2009 में चर्चा के लिए एक नयी कर संहिता (कोड)[1] जारी की है। अगर यह संहिता पारित हो जाती है तो इसे कानून का दर्जा मिल जाएगा और इसे आगामी वित्तीय वर्ष (2010-11) या उससे अगले वित्तीय वर्ष (2011-12) से ही लागू कर दिया जाएगा। यह संहिता बहुत सारे एनपीओ संगठनों को आर्थिक रूप से जर्जर कर सकती है।

लेखायोग के प्रस्तुत अंक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर यह संहिता मार्च 2010 से लागू हो गयी तो आप की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है।

क्या आप वाकई एनपीओ हैं?

इस संहिता में यह साबित करने के लिए पहले से ज़्यादा कठिन शर्तों का प्रावधान किया गया है कि कोई संगठन एनपीओ[2] है या नहीं। एनपीओ को ये साबित करना होगा कि उसकी स्थापना लोक हित के लिए की गयी है। ऐसे संगठनों को ये भी दिखाना होगा कि वे सालभर सक्रिय रहे हैं और इससे जनता को सचमुच लाभ हुआ है। अगर आयकर अधिकारी आपके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं तो इस शर्त पर खरा उतरना काफी मुश्किल हो सकता है।

स्वीकृत कल्याणकारी गतिविधियां

अब 'परोपकारी उद्देश्य' पद के स्थान पर 'स्वीकृत कल्याणकारी गतिविधियां'[3] पद को शामिल किया जाएगा। इसी तरह, नए कानून का ज़ोर 'उद्देश्य' की बजाय 'गतिविधियों' पर रहेगा। हालांकि फिलहाल 'स्वीकृत कल्याणकारी गतिविधियों' से संबंधित उपखंड पहले जैसे ही है, मगर उनकी भाषा पहले से ज़्यादा संकुचित हो गयी है। उदाहरण के लिए, केवल गरीबों को राहत प्रदान करने वाली गतिविधि ही स्वीकृत कल्याणकारी गतिविधि मानी जाएगी। इसी तरह, 'चिकित्सा राहत' पद की जगह 'चिकित्सा राहत उपलब्ध कराने' पर ज़ोर दिया जाएगा। 'शिक्षा' शब्द के स्थान पर 'शिक्षा की प्रगति' लिखा गया है।

संबंधित व्यावसायिक गतिविधि

कोई भी व्यवसाय जैसी गतिविधि अब केवल तभी स्वीकार्य होगी जब यह संगठन की कल्याणकारी गतिविधियों[4] के दौरान करी जाये।

इसमें मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अभी तक ज़्यादातर लोग सोचते थे कि यदि व्यवसाय मुख्य गतिविधि या उद्देश्य नहीं है तो सस्था पर टैक्स नहीं लगेगा। पर अब यह सोच बदल सकती है। उदाहरण के लिए - अगर आप ग्रीटिंग कार्ड या हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बेचते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ सकता है कि ये चीजें स्वयं लाभान्वितों द्वारा ही बनायी गयी हैं।

इसके साथ ही आपको यह भी साबित करना होगा कि आप केवल गरीबों की सहायता, चिकित्सा राहत, शिक्षा, तथा पर्यावरण या स्मारकों के संरक्षण में सक्रिय हैं। इस तरह बहुत सारे एनपीओ संगठनों को अपने काम का तरीका बदलना पड़ेगा।

खरचें या कर दें!

अभी की व्यवस्था ये है कि अगर कोई एनपीओ अपनी आय का कम से कम 85 प्रतिशत खर्च नहीं कर पाता है तो उसे 30 प्रतिशत की दर से कर चुकाना होगा। लेकिन मौजूदा कानून में कम खर्च के कारण बचे पैसों को अगले सालके खाते में चढ़ा देने और संचय करने की छूट मौजूद है जिसके चलते ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी एनपीओ को सचमुच कर चुकाना पड़े।

---

[1] प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009

[2] लाभ निरपेक्ष संगठन [3] धारा 96 (जी) [4] धारा 96 (ए)

www.AccountAid.net

अब यह स्थिति बदल सकती है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी एनपीओ संगठनों को हर साल अपनी 100 प्रतिशत आय खर्च करनी होगी। अगर संगठन इससे कम खर्च करता है तो उसे बचे पैसों पर 15 प्रतिशत[5] कर चुकाना पड़ेगा। यह कर योग्य आय मूल रूप से उस साल के बचे अनुदानों और पूंजी लाभ से बनती है। इसके अलावा आप खर्च नहीं हुए अनुदान के लिए देनदारी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि आय-व्यय को नगद आधार[6] पर ही माना जायेगा।

यह व्यवस्था एनपीओ संगठनों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा करेगी। अगर कोई एनपीओ व्यावहारिक कारणों से उसी साल पूरे अनुदान को खर्च नहीं कर पाता है तो उसे कर चुकाना होगा। अगर अनुदान देर से मिला है, मसलन, मार्च में पैसा आया है तो भी एनपीओ को कर चुकाना होगा। अगर किसी एनपीओ को मार्च के अंत तक सारा नगद खर्च कर देना है तो उसे ये भी सोचना होगा कि अप्रैल में उसके हाथ में काम करने के लिए पैसा कहां से आयेगा?

इसी तरह अगर दाता एजेंसी (जो दूसरे एनपीओ संगठनों को भी अनुदान देती है) मार्च तक सारे अनुदानों का वितरण नहीं कर देती है तो उसे भी कर का भुगतान करना होगा। इस समस्या से बचने के लिए उसे टैक्स-पेड निधि या कोष बनाना पड़ेगा ताकि उसे चालू पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सके।
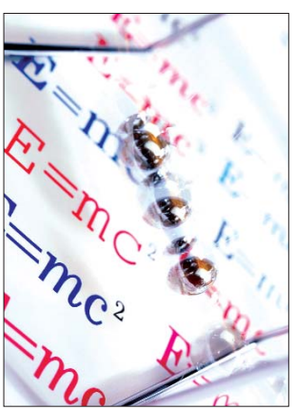
घाटे की वित्त व्यवस्था?

अगर किसी साल में आय के मुकाबले खर्चा ज्यादा हुआ है तो क्या होगा? ऐसे में संस्था घाटे में चली जाएगी। लेकिन इस घाटे को अगले साल की आय से समायोजित करने की कोई व्यवस्था दिखायी नहीं दे रही है।

इसका क्या अर्थ निकला? अगर कोई एनजीओ बाहर से कर्जा लेता है या एक वित्तीय वर्ष में परियोजना का खर्चा चलाने के लिए संचित निधि से पैसे निकालता है तो वह घाटे में चला जाएगा। जब उसे अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान मिलेगा और वह कर्जा चुकाएगा (या कोष में वापस पैसे डालेगा) तो उस साल की उसकी आमदनी खर्चे से ज़्यादा दिखायी देगी। ऐसी सूरत में उसे इस 'अधिशेष' पर 15 प्रतिशत कर चुकाना होगा।

कर योग्य आय

किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कर योग्य आय का हिसाब लगाने का सूत्र यह रहेगाः *कर योग्य आय = (सकल कल्याण प्राप्तियां − सकल भुगतान) + वित्तीय संपदाओं से पूंजीगत लाभ।*

इन तत्वों की व्याख्या नीचे की गयी हैः

सकल कल्याण प्राप्तियां

आयकर अधिनियम में एक एनपीओ की आय की परिभाषा कभी भी स्पष्ट नहीं रही है। इसके कारण बहुत सारे कर सलाहकार अनुदानों को आय से अलग करके उन्हें एक अनुबंध दायित्व के रूप में देखते हैं। नयी कर संहिता सकल प्राप्तियों[7] पर ज़ोर देती है इसलिए अब यह विकल्प संभव नहीं रहेगा। संस्था की सकल प्राप्तियों में निम्नलिखित स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां शामिल होगीः

1. स्वैच्छिक अंशदान
2. किराया
3. संबंधित व्यावसायिक गतिविधि से होने वाली आय
4. किसी निवेश संपदा[8] या किसी व्यावसायिक संपदा की बिक्री से होने वाली आय
5. निवेश से आय
6. कोई भी प्राप्ति, लाभ, चंदा या सदस्यता।

आखिरी श्रेणी इतनी व्यापक है कि उसमें सभी प्रकार के अनुदान और अनुबंध आधारित पावतियां आ जाती हैं। ऋण, पेशगी को सकल प्राप्तियों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

सकल भुगतान

इनमें निम्नलिखित शामिल[9] हैंः

1. कोष (कॉर्पस) के लिए निर्धारित अंशदान
2. चंदा उगाही, संबंधित व्यावसायिक गतिविधि या किसी पावती से संबंधित भुगतान
3. कल्याणकारी गतिविधियों के लिए भुगतान
4. संपदा के लिए भुगतान
5. मिलती-जुलती कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दूसरे एनपीओ को भुगतान।

ऐसा भी लगता है कि अब एनपीओ संगठनों पर केवल भारत में ही अपना पैसा खर्च करने का बंधन नहीं रहेगा। वे चाहें तो दूसरे देशों में भी अपनी कल्याण गतिविधियों को फैला सकते हैं।

उपरोक्त के अलावा अधिसूचित[10] एनपीओ भी छूट के लिए आवेदन कर सकती है अगर वह एनपीओ भारत से बाहर कुछ प्रकार की अंतराष्ट्रीय कल्याण गतिविधियों पर भी पैसा खर्च कर रही है।

पूंजी लाभ

पूंजी लाभों को धारा 44 से 53 के आधार पर सामान्य रीति से जोड़ा जाएगा।

भाई-भतीजा वाद

इन प्रावधानों को बिना कोई खास बदलाव किये ऐसे ही रखा[11] गया है। संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्ति को तर्क संगत वेतन आदि का भुगतान पहले की तरह ही जारी[12] रहेगा।

शेयर बाजार में निवेश

अब एनपीओ को शेयर बाजार में सीधे निवेश करने की छूट होगी। इस संबंध में प्रस्तावित संहिता में स्वीकृत निवेश विकल्पों के स्थान पर निषिद्ध निवेश विकल्पों की सूची जोड़ दी गयी है। अब कोई भी एनपीओ धारा 91 के अंतर्गत निषिद्ध[13] विकल्पों के अलावा किसी भी तरीके से निवेश कर सकता है। पाबंदियां मुख्य रूप से किसी संबंधित निकाय में निवेश पर केंद्रित हैं जिसकी नीचे व्याख्या की गयी है।

---

[5] अनुसूची 1, पैराग्राफ सी, को धारा 87 के साथ पढ़ने पर
[6] धारा 88 (2) [7] धारा 89
[8] "निवेश संपदा" का आशय ऐसी पूंजी संपदा से है जो व्यावसायिक संपदा नहीं है; (धारा 284(151)
[9] धारा 90 [10] धारा 90 (जी) [11] धारा 96 (एफ) [12] धारा 92 [13] धारा 91

accountable-subscribe@topica.com

संबंधित निकाय

नयी संहिता में एनपीओ के संदर्भ में संबंधित निकाय की अवधारणा को जोड़ा गया है। संबंधित निकाय की परिभाषा धारा 113 को धारा 96(सी)[14] के साथ पढ़ने पर मालूम चलती है।

दो निकायों को तब परस्पर संबंधित माना जाएगा जबः

1. उनमें से एक के पास दूसरे में 10 प्रतिशत मताधिकार या हिस्सा हो;
2. किसी एक व्यक्ति या निकाय के पास दोनों निकायों में 10 प्रतिशत मताधिकार हो;
3. दोनों में से एक ने दूसरे निकाय को उस निकाय के कुल संपदा का 26 प्रतिशत या उससे अधिक कर्जा दिया हुआ हो;
4. उनमें से किसी एक ने दूसरे के ऋणों में से 10 प्रतिशत ऋणों की जमानत दी हो;
5. दोनों में से किसी एक के बोर्ड के एक तिहाई से ज़्यादा सदस्यों को दूसरे निकाय में नियुक्त किया गया हो;
6. एक निकाय दूसरे निकाय के ब्रांड नाम या पहचान आदि पर पूरी तरह आश्रित हो;
7. एक निकाय की दो तिहाई आपूर्तियों को दूसरे निकाय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो;
8. एक निकाय दूसरे निकाय द्वारा बेची जा रही वस्तुओं के मूल्य या शर्तों को प्रभावित करने की स्थिति में हो;
9. दोनों निकाय एक ही हिंदू संयुक्त परिवार या व्यक्ति के नियंत्रण में हों या उसके रिश्तेदारों/ सदस्य के नियंत्रण में हों;
10. कोई अन्य निर्धारित साझा हित।

यह जटिल परिभाषा क्यों शामिल की गयी है? इसके पीछे सामान्य समझ यह है कि एनपीओ को अपना पैसा किसी संबंधित एनपीओ या व्यावसायिक संगठन में निवेश नहीं करना चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि इससे एनपीओ[15] संगठनों के कामकाज पर किस तरह असर पड़ेगा। हो सकता है कि जो एनपीओ बैंक या माइक्रो क्रेडिट योजनाएं चला रहे हैं, उनके कामकाज पर बुरा असर पड़े।

दाताओं को सुविधा

नयी संहिता के लागू होते ही धारा 35एसी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को मिलने वाले चंदे पर 100 प्रतिशत कर छूट का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इससे बहुत सारे ऐसे बड़े एनपीओ संगठनों को नुकसान पहुंच सकता है जो आत्म-निर्भरता के लिए भारत के भीतर से ही अनुदान जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

सभी गैर-धार्मिक एनपीओ (धारा 95 के अंतर्गत स्वीकृत[16]) अपने दान दाताओं को 50 प्रतिशत कर छूट[17] देने के अधिकारी होंगे। इस तरह के चंदे दाता की कुल सकल आय के 10 प्रतिशत से अधिक[18] नहीं होंगे।

वैज्ञानिक या सांख्यिकीय शोध में सक्रिय एनपीओ आवश्यक मंजूरी[19] के बाद दानदाताओं को 125 प्रतिशत तक कर छूट दे सकता है (यह प्रावधान अभी भी ऐसा ही है)।

बेनाम चंदों पर कर

2006 में सरकार ने बेनाम चंदों पर 30 प्रतिशत कर वसूलने का ऐलान किया था। यह कर उन एनपीओ को चुकाना पड़ता है जिन्हें ऐसा चंदा प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित संहिता में इस प्रावधान पर कोई बात नहीं की गयी है। इसका मतलब है कि आगे यह कर प्रभावी नहीं रहेगा।

दूसरी औपचारिकताएं

संगठन का स्वरूप

सभी तरह के संगठनों को एनपीओ[20] का दर्जा मिल सकता है। इसमें ऐसे ट्रस्ट भी शामिल हैं जिन्हें किसी दूसरे संगठनके तहत स्थापित[21] किया गया हो। धार्मिक एनपीओ से संबंधित कर प्रावधान किसी परोपकारी एनपीओ जैसे ही रहेंगे।

नगद आधार पर लेखांकन

सभी एनपीओ को कर संबंधी उद्देश्यों[22] के लिए नगद आधार पर कल्याणकारी गतिविधियों के खाते बनाने होंगे।

संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आय को कल्याणकारी गतिविधियों[23] में शामिल किया गया है। इसलिए व्यावसायिक गतिविधि के लिए लेखांकन भी नगद आधार पर ही होगा।

इससे आईसीएआई की इस सिफारिश[24] के साथ विरोधाभास पैदा हो जाएगा कि व्यावसायिक गतिविधि चलाने वाले एनपीओ को एक्रुअल आधार पर खाते रखने चाहिए।

[14] धारा 96 (सी) [15] धारा 91
[16] संभवतः इसका संबंध धारा 93 से है क्योंकि धारा 95 स्वीकृतियों से संबंधित नहीं है।
[17] धारा 16 भाग सी, प्रविष्टि 6
[18] धारा 72 (2)
[19] अनुसूची 16, भाग ए; ऐसा प्रा धान इस समय भी.उपलब्ध है।
[20] धारा 96 (डी) [21] धारा 96 (डी), धारा 96 (एच) के साथ पढ़ने पर
[22] धारा 88 (2) [23] धारा 88 (1) (ए), धारा 89 (1) (सी) के साथ पढ़ने पर
[24] देखें पृष्ठ 4 लेखायोग 6; भारतीय लेखांकन मानक, www.accountaid.net पर उपलब्ध

आगे क्या होगा?

सरकार ने जनहित के लिए, एनपीओ क्षेत्र के योगदान को हमेशा सराहा है। लेकिन सरकार करों की चोरी करने वालों से चिंतित है, जो दी गई रियायतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे है। लिहाजा, प्रावधानों में कुछ सख्ती की जरूरत समझ में आती है।

परंतु दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह सख्ती व्यावहारिक हो। यह सख्ती 2007 में घोषित स्वैच्छिक क्षेत्र की सरकारी नीति के भी अनुरूप होनी चाहिए।

ऐसा लगता है कि कुछ प्रावधानों को तय करते हुए इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि उनसे एनपीओ संगठनों के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लिहाजा एनपीओ संगठनों को इस मुद्दे पर सरकार के साथ संवादकी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।

[25] परोपकारी उद्देश्यों/ स्वीकार्य कल्याणकारी गतिविधियों के मद 1-5 के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों में सक्रिय एनपीओ।

मुख्य बदलावों का चार्ट

शीर्षक	वर्तमान कानून	नयी संहिता
निर्धारक लक्षण	परोपकारी उद्देश्य	स्वीकार्य कल्याणकारी गतिविधियां
कॉर्पस अंशदान	कर मुक्त	पूरी तरह कटौती योग्य
बचे हुए अनुदान को अगले साल के खाते में ले जाना	स्वीकृत	कर योग्य
न्यूनतम व्यय सीमा	85 प्रतिशत	100 प्रतिशत
5 वर्ष के लिए संचय	स्वीकृत	कर योग्य
कर की दर	30 प्रतिशत	15 प्रतिशत
मुख्य व्यक्तियों को भुगतान	तर्कसंगत भुगतान	तर्कसंगत भुगतान
निवेश	म्युचुअल फंड्स, अनुसूचित बैंक आदि	संबंधित निकायों के अलावा सभी रूपों में स्वीकार्य
चुनिंदा एनपीओ के लिए व्यावसायिक गतिविधियां[25]	स्वीकार्य, यदि परोपकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों	स्वीकार्य, यदि वास्तविक कल्याण गतिविधि के दौरान की जाय
असंबद्ध आयवर्द्धक गतिविधियां	स्वीकृत नहीं	स्वीकृत नहीं
बेनाम चंदे	30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान	कर मुक्त
दाताओं को सुविधा	50-100 प्रतिशत छूट	50 प्रतिशत छूट

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे 1,500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्या:

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी मोटे स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net** पर उपलब्ध हैं।

ई-मेल द्वारा लेखा-योग:

लेखायोग के नए अंक अब ई-मेल द्वारा मुफ्त में प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net** पर जाकर **'Lekha Yog by E-mail'** को क्लिक कर अपना विवरण भरें।

अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net** पर जाकर **'AccountAid Capsule'** को क्लिक कर अपना विवरण भरें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011- 2634 3128; फोन/फैक्स : 011-2634 3852;
ई-मेल: **info@accountaid.net**

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत 2066 माघ, ईस्वी सन् जनवरी 2010.

श्रीमती चारू मलहोत्रा द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली (फोन 26343128) के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, एफ-25,ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली से मुद्रित।

लेख: श्री संजय अग्रवाल; अनुवाद: श्री योगेन्द्र दत्त

सम्पादन: कु. सुदिप्ता साहा

डिज़ाइन: श्रीमती मोऊशुमी डे

केवल निजी प्रसार के लिए।

info@accountaid.net